वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 28.08.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, परफेक्ट मिशन, तरूणमित्र न्यूज, न्यायाधीश," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 28.08.2025

वीडीए ने 72 घंटे में स्वीकृत किया नक्शा

वाराणसी। वीडीए ने संदहा रिंगरोड पर 72 घंटे से भी कम समय में 40 कमरों के होटल सह रिसॉर्ट का मानचित्र स्वीकृत किया। मे. ट्री गार्डन एंड रिसॉर्ट का मानचित्र दिलीप कुमार सिंह व अन्य की ओर से दिया गया था। 24682.84 वर्ग मीटर पर इसका निर्माण होना है। इसमें 40 उच्च सुविधायुक्त कक्षों के अतिरिक्त प्रस्तावित होटल सह रिसॉर्ट में 137 कार एवं पर्याप्त संख्या में 2 व्हीलर पार्किंग प्रस्तावित है। ग्रीन हरित क्षेत्र व पार्क कुल भूखंड का 19.55 प्रतिशत (4825.67 वर्ग मीटर) और कुल निर्माण 6159.75 वर्ग मीटर में होगा। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 28.08.2025

शमन शुल्क जमा न करने वालों पर हो कार्रवाई

वाराणसी। वीडीए के अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा ने बुधवार को लंबित शमन मानचित्रों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वालों के खिलाफ प्रवर्तन की कार्रवाई करें। सील प्रकरणों की जांच करें। बेसमेंट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। इसके अलावा जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। जोन-1 के वार्ड शिवपुर, सिकरौल में शमन शुल्क की मद में 6,01,349 रुपये जमा कराया गया है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक कुल शमन धनराशि 2,93,88,877 रुपये जमा हुई। उधर, वीडीए की ओर से बुधवार को एक अवैध निर्माण सील किया गया। शिवपुर वार्ड के बड़ालालपुर चांदमारी में ओम प्रकाश पांडेय की ओर से अनधिकृत रूप से निर्माण कर इसका व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा था। इसे वीडीए के जोनल अधिकारी शिवजी मिश्रा ने सील कर दिया। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 28.08.2025

अनधिकृत पेट्रोल पंपों को कराएं सील

वाराणसी। वीडीए के सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने बुधवार को समीक्षा में कहा कि अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई जाए। अनधिकृत रूप से संचालित पेट्रोल/ डीजल/सीएनजी फिलिंग स्टेशनों को सील करने की कार्रवाई करें। वार्ड के टॉप-10 बकायेदारों से वसूली करें। शमन शुल्क की मद में कुल 2,66,67,181 रुपये प्राधिकरण कोष में जमा हुआ। निर्धारित लक्ष्य से कम धनराशि जमा कराने पर नाराजगी जताई। दशाश्वमेध, चेतगंज, चौक, कोतवाली, भेलूपुर, नगवां, रामनगर, मुगलसराय में जमा शमन मानचित्र, आईजीआरएस शिकायतों की समीक्षा की। ब्यूरो

न्यायाधीश–दि0 28.08.2025

अपर सचिव द्वारा जोन-1 एवं जोन-2 की समीक्षा बैठक की गयी

उपाध्यक्ष महोदय के निर्देशों के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के प्राधिकरण कक्ष में अपर सचिव डॉ0 गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-1 एवं जोन-2 की समीक्षा बैठक की गयी, समीक्षा बैठक के दौरान लम्बित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए शीघ्र मानचित्र निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया। जोन-1 के वार्ड शिवपुर, सिकरौल एवं विन्यास में विगत दिनांक 18.08.2025 से दिनांक 24.08.2025 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0 6,01,349.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0-2,93,88,877.00 एवं जोन-2 के वार्ड सारनाथ, आदमपुर, जैतपुरा एवं विन्यास में विगत दिनांक 18.08.2025 से दिनांक 24.08.2025 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0 15,49,339.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2025-26 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0-2,63,47,936.00 जमा कराया गया है। स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही करने को भी जोनल अधिकारी को निर्देशित किया गया। सील प्रकरणों की जॉच एवं बेसमेण्ट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया है एवं सचेत किया गया कि विलम्बतम 01 सप्ताह में जनशिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाय। शहर में हो रहे अनियोजित विकास एवं अवैध प्लाटिंग का चिन्हांकन करते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही/ध्वस्तीकरण सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दिया गया है। साथ ही बैठक में अपर सचिव द्वारा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित किया गया कि सौपें गये कार्यो के प्रति कोई लापरवाही एवं शिथिलता न बरती जाय अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण से देखा जायेगा। उक्त समीक्षा बैठक में जोन-1 के जोनल अधिकारी, श्री शिवाजी मिश्रा, अवर अभियन्ता, श्री रोहित कुमार, भवन लिपिक, श्रीमती किरन सिंह एवं जोन-2 के जोनल अधिकारी, श्री प्रकाश कुमार, अवर अभियन्ता, श्री विनोद कुमार, अवर अभियन्ता, श्रीमती वर्तिका दुबे सहित भवन लिपिक, श्री विनोद कुमार यादव एवं समस्त फील्ड कार्मिक उपस्थित रहे।

परफेक्ट मिशन–दि0 28.08.2025

वीडीए अपर सचिव ने जोन एक और दो की समीक्षा बैठक कर दिया निर्देश

❑ अवैध प्लाटिंग का चिन्हांकन करते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही/ध्वस्तीकरण सुनिश्चित कराए : डॉ गुणाकेश

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष के निर्देशों के क्रम में बुधवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के प्राधिकरण कक्ष में अपर सचिव डॉ0 गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन–1 एवं जोन–2 की समीक्षा बैठक की गयी, समीक्षा बैठक के दौरान लम्बित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए शीघ्र मानचित्र निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया।

जोन–1 के वार्ड शिवपुर, सिकरौल एवं विन्यास में विगत दिनांक 18.08.2025 से दिनांक 24.08.2025 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0 6,01,349.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष 2025–26 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0–2,93,88,877.00 एवं जोन–2 के वार्ड सारनाथ, आदमपुर, जैतपुरा एवं विन्यास में विगत दिनांक 18.08.2025 से दिनांक 24.08.2025 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0 15,49,339.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष–2025–26 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0–2,63,47,936.00 जमा कराया गया है। स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही करने को भी जोनल अधिकारी को निर्देशित किया गया। सील प्रकरणों की जाँच एवं बेसमेण्ट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया है एवं सचेत किया गया कि विलम्बतम 01 सप्ताह में जनशिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाय। शहर में हो रहे अनियोजित विकास एवं अवैध प्लाटिंग का चिन्हांकन करते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही/ध्वस्तीकरण सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दिया गया है। साथ ही बैठक में अपर सचिव द्वारा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित किया गया कि सौंपे गये कार्यों के प्रति कोई लापरवाही एवं शिथिलता न बरती जाय अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण से देखा जायेगा।

उक्त समीक्षा बैठक में जोन–1 के जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा, अवर अभियन्ता, रोहित कुमार, भवन लिपिक, किरन सिंह एवं जोन–2 के जोनल अधिकारी, प्रकाश कुमार, अवर अभियन्ता, विनोद कुमार, अवर अभियन्ता, वर्तिका दुबे सहित भवन लिपिक, विनोद कुमार यादव एवं समस्त फील्ड कार्मिक उपस्थित रहे।

तरूणमित्र न्यूज–दि0 28.08.2025

वीडीए सचिव डा. वेद प्रकाश ने की कार्य प्रगति, एमपीआर व अन्य कार्यों के बाबत समीक्षा बैठक

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा ने बुधवार को जोन-3 (वार्ड-दशाश्वमेध, चेतगंज, चौक व कोतवाली), जोन-4 (भेलूपुर व नगवां), जोन-5 (रामनगर व मुगलसराय) के 15 दिनों के कार्यों की प्रगति (01.08.25 से 24.08.25 तक) विगत 3 माह के एमपीआर व पूर्व निर्देशित बिन्दुओं के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक आयोजित कर कई निर्देश दिए।

वीडीए सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए

सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा नर समीक्षा बैठक में आलोच्य माह अवधि में जमा शमन मानचित्र, स्वीकृत शमन मानचित्र, तावान / शमन शुल्क की वसूली, ढ्ढत्रक्र पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों पर असन्तुष्ट प्रतिक्रिया (Negative Feedback) पर कार्य करने हेतु निर्देशित किये, अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही, अनाधिकृत रूप से संचालित पेट्रोल / डीजल/सी0एन0जी0 फिलिंग स्टेशनों के विरूद्ध कार्यवाही, विन्यास व भवन (वार्ड) के टॉप-10 बकायेदारों, सीएमएस पोर्टल पर लंबित शिकायतों आदि मुख्य बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी। आलोच्य अवधि में जोन-3, 4 व 5 द्वारा शमन शुल्क के मद में कुल रु0 02,66,67,181.00 प्राधिकरण कोष में जमा हुआ।

सचिव महोदय द्वारा समीक्षा निर्धारित लक्ष्य से कम धनराशी जमा कराये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी पुराने लम्बित शमन मानचित्र की फाइल को अतिशिघ्र निस्तारण के लिये आदेशित किया गया। सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा समस्त जोनल अधिकारी एवं अवर अभियंता को निर्देशित किया गया कि वे अधिक से अधिक मानचित्र स्वीकृत कर शमन शुल्क जमा कराये। जोन-3 के जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति, जोन-4 के जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियन्ता आदर्श निराला एवं सोनू कुमार, जोन-5 के जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार, अवर अभियन्ता राजू कुमार, व मुख्य भवन लिपिक, विन्यास लिपिक एवं अन्य लिपिक उपस्थित रहे।